




3



04AA 001861/14



मध्य प्रदेश का आदिवासी आंदोलन
 प्रथम बार 2009 की शुरुआत में
 46 (D) Pro का आदिवासी
 मुख्य: भारतीय स्टाम्प प्रचारित
 इंडियन स्टाम्प एक्ट) 1899 की अनुसूची
 या 1 के अन्तर्गत 23-I-A
 विधि अद्यतन 2014
 केंद्र (या स्टाम्प शुल्क से विनिर्मुक्त
 राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र)

[Handwritten signature]
 27/1/14

सीताराम महतो
 27/1/14

§1§ लेख्यकारी:- श्री सीताराम महतो पिता स्व० करिया महतो
 जाति- कुम्हार, पेशा- खेतीबारी, निवास ग्राम- गोतरा
 कुम्हारटोली, थाना- सिमडेगा, जिला- सिमडेगा ।
 बिक्रेता ।

समय पत्र संख्या :- 41 / 2014

महाराष्ट्र सरकार
 मंत्रालय
 निदेशिका
 27/01/14

बसन्त महतो पिता स्व. देवा महतो
 जिला गोहरा कुम्हार टोली थाना
 जिला सिमडेगा ब.क. अजम महतो
 27/1/14



207

84 dt 09.01.14



1. एच डीएच पत्र
 2. लेटर पत्र
 3. मेरकम पत्र
 4. मिन्सि विद्युत वरीय डीपिडन
 5. वाले
 6. काम

10,000 x 1 = 10,000
 1,000 x 12 = 1,000
 500 x 1 = 500
 50 x 2 = 100

 Total = 11600 = 11600

10/01/14
 सिमडेगा

(गणराज्य राजा (एच डीएच))



श्री. गणराज महेरा
 27/1/14



27. 1. 14 - 10/01
 १६ वां वार्षिक
 अथवा अन्य दिवस कार्यस्थल
 सेवान्वित या नियोचारी या निरन्तरकारी
 का वनक पुस्तक को खन
 के दिवस सत्य
 के दिवस



निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित है
 श्री/श्रीमती सीताराम महेरा
 पता/पत्नी का शुक्र कर्मण्डा
 निवासी गणराज
कुम्हरवा

27/1/14
 9/1/14



--2--

§2§ लेख्यधारी:- श्री दशरथ प्रधान पिता स्व० लैगाँ प्रधान
जाति- भोगता, पेशा- नौकरी एवं खेतीबारी, निवास ग्राम-
मैटकूपा, पो०- कोरोमियाँ, थाना- ठेठईटांगर, जिला-सिमडेगा ।
.. भारतीय नागरिक .. क्रेता ।

शमथ-पत्र संख्या:- 42 / 2014

§3§ लेख्यप्रकार:- विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी पुत्र पुत्रादिक
सदा सर्वदा के लिए होता है ।

§4§ मूल्य:- मोबांलग दो लाख नब्बे हजार रुपये अंके 2,90,000/-
रुपये होता है ।

§5§ सम्पति:- सराजियात अन्दर मौजा- गोतरा आनन्दनगर,
थाना- सिमडेगा, थाना नं० 80, सदर रजिस्ट्री ऑफिस वो
जिला- सिमडेगा के छाता नं० 242 {दो सौ बेयालिस} प्लॉट
नं० 2690 {छबीस सौ नब्बे} रकबा 0.08 एकड़ {आठ डिसमिल}
वो प्लॉट नं० 2720 {सताईस सौ बीस} रकबा 0.02 एकड़ {दो
डिसमिल} कुल एक छाता के दो प्लॉट का जुमला रकबा 0.10 एकड़
शहरी क्षेत्र के चार भागों में से विक्रय वालो जमीन आवासीय क्षेत्र में
पड़ता है जिसपर किसी प्रकार का मकान या निर्माण नहीं है ।
जिसका जुमला चौहददो:-

उत्तर:- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता का टांड,

दक्षिण:- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता का टांड,

पूरब :- इसी प्लॉट का अंश नीज बिक्रेता का टांड ।

क्र.सं. 42/14
27/11/14

जोसी जोसेफ सेल्वरवा
पिता- वनाशुक्र सेल्वरवा
पुत्र- सातेली निकजरी
थाना + जिला सिमडेगा
27/11/14



--3--

पश्चिम:- इसी प्लॉट का अंश छोड़ा गया रास्ता 8 फीट का कच्चा ।
मालगुजारी 5 पैसा पाँच पैसा अलावे सेस सलाना ।

१११ चूँकि मुझ लेख्यकारी को बीमारी का इलाज कराने एवं अन्य दोगर घरेलू खर्च के लिए रूपयों को जरूरत पड़ी जिसकी व्यवस्था जमीन बेचे वगैर सम्भव न हुई और तब मैंने लेख्यधारी से मेरी जमीन खरीदने की प्रार्थना की जिसे उन्होंने खरीदना एवं रूपये देना स्वीकार किया ।

१२१ इसलिए मैंने अपनी इच्छा से शरीर वी मन की स्वस्थता में रहकर उपर खाना संख्या पाँच में वर्णित जमीन को उपर्युक्त लेख्यधारी के हाथ नगद कीमत चुकता पाकर बेचा और बेची गई जमीन का कुल हक दखल वी अधिकार उक्त लेख्यधारी वी उनके उत्तराधिकारियों के हाथ सदा दिन के लिए हस्तान्तरित कर दिया । अब से बेचा गई जमीन पर न मेरा कोई हक सरोकार रहा और न मेरे किसी उत्तराधिकारी या स्थानापन्न का कोई हक सरोकार रहा और न आइन्दा रहेगा ।

१३१ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि विक्रित वर्णित जमीन खतियानी है । खतियान में मेरे पिता करिया कुम्हार वगैरह के नाम से नाप दर्ज है । मालगुजारी रसीद करिया कुम्हार के नाम से कटता है । मेरे पिता का मृत्यु हो चुकी है । उनकी मृत्यु के बाद जमीन का आपसी मौखिक भैयादी बँटवारा हो चुका है । जो जमीन मैं बेच रहा हूँ मेरे निज

श्रीराम मेरी
29/11/14



--4--

हिस्से को जमीन है जिसपर मेरा निर्विवाद हक दखल वो कब्जा है और किसी प्रकार का वाद या झगड़ा झंझट नहीं है ।

§4§ अब चाहिए कि लेख्यधारी अपनी जमीन पर काविज वो दखलकार होकर अपना जैसा फायदा का समझें अपने उपयोग में लावें वो झारखण्ड सरकार वजरिये अंचल अधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय से अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर तारीख लेख्य से व अदाय मालगुजारी के रसीद खास नाम से हासिल किया करें ।

§5§ इसलिये यह विक्रय पत्र केवाला वैला कलामी सदा दिन के लिये लिख दिया कि प्रमाण रहे वो वक्त जरूरत पर काम आवे ।

शपथ पूर्वक कहता हूँ कि मैं कुम्हार जाति का हूँ । सरकार के विशेष सचिव, झारखण्ड सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के झापांक 591 दिनांक 1.3.12 पत्रांक 7 / होल्डिंग हस्ता निरति 20/2009 दिनांक 19.6.2012 के द्वारा दो गई सूची में मैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता हूँ ।

उक्त बिक्री की जानेवाली जमीन भू-हदबंदी, कैसरे हिन्द, खास महल, सेरात, लीज, भू-दान, बंदोवस्ती, गैर मजरूआ के तहत नहीं है ।

सिद्धार्थ मेहता
27/11/14



--5--

मैं लेख्यकारो यह घोषणा करता हूँ कि विक्रोत जमीन वो बचत जमीन सिंलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।

सि. नारायण प्रसाद
27/1/14



पुमागिन किया जाता है कि लोककारी के बाप बाप का पांचा अंगुलिया का बाप मेरे समवा किया गया ।

सजय कुमार महर्जे

अधिकार 27.01.2014

पिल्लेर
राम नारायण
02

मैं लेख्यधारो यह घोषणा करता हूँ कि पूर्व में धारित जमीन वो खरोदगी के बाद कुल धारित जमीन सिंलिंग के अन्तर्गत नहीं आता है ।



पथरप प्रसाद
27/1/14

पुमागिन किया जाता है कि लोककारी के बाप बाप का पांचा अंगुलिया का बाप मेरे समवा किया गया ।

सजय कुमार महर्जे

अधिकार 27.01.2014



उभय पक्षों के कहे अनुसार इस विक्रय पत्र दस्तावेज का प्रारूप तैयार किया एवं उनको गवाहों के समक्ष पढ़कर सुना वो समझा दिया जिसे उन्होंने स्वीकार किया ।

सहो/- ⁰संजय कुमार महंगे
अधिवक्ता

प्रारूपकर्ता

तारीख:- 27.01.2014

27/1/14

प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र दस्तावेज के कुल छः पृष्ठों में कुल 652 शब्द टंकित हैं जो खण्डन रहित वो नक्सा सहित है ।

टंकक
मो० मकसुद
कचहरी परिसर,
सिमडेगा ।